न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 23 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट

1. हलीमों पत्नी मोहम्मद हसन **बनाम**
2. हैदर पुत्र मोहम्मद हसन
3. कायम पुत्र मोहम्मद हसन
4. नागोदर पुत्र मोहम्मसन हसन
5. दायम पुत्र मोहम्मद हसन
   अपीलकर्ता संख्या 2 से 5
   नाबलिग जरिये कुदरती वलीया
   अपीलकर्ता संख्या 1 हलीमा
6. भुट्टा उर्फ बसाया पुत्र ईसा खां
7. हकीम पुत्र ईसा खां
8. मीरा पुत्री ईसा खां
9. नुरी पत्नी ईसा खां जाति
   मुसलमान निवासी पोषमा
   तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

1.हुसैन खां पुत्र ईसा खा
जाति मुसलमान निवासी पोषमा
तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।
2.तहसीलदार गडरारोड़।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव के बमुकदमा संख्या 13 / 2014 बअनवान हुसैन खां बनाम हलीमा निर्णय दिनांक 04.06.2015।

उपस्थिति

1. वकील श्री महेन्द्र कुमार रामावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अम्बालाल जोशी रेस्पोडेंट की ओर से ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 27.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्तागण व उतरदाता संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 14 रकबा 137.15 बीघा मौजा पोषमा तहसील गडरारोड में आया हुआ है जिसमें उतरदाता संख्या 1 की 1/12 हिस्सा शेष भूमि अपीलकर्तागण की खातेदारी में आई हुई है इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण बाबत नोटिस अपीलकर्तागण को कभी भी प्राप्त नहीं हुए व उक्त नोटिस पर यह रिपोर्ट की गई कि नोटिस लेने से इन्कार और उनके मकान पर चस्पा करना बताया गया है। दिनांक 29.05.2014 को एकतरफा कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार गडरारोड को वादग्रस्त खेत के बंटवाड़े हेतु कमिश्नर नियुक्त किया था लेकिन तहसीलदार स्वयं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मौके पर न आकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बंटवाड़ा मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जो कब्जे के प्रतिकूल तैयार की गई है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बंटवाड़ा मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जो कब्जे के प्रतिकूल तैयार की गई है। इसके बावजूद भी दिनांक 04.06.2015 को डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds विभाजन के आधार पर किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं थी। दो दिन पूर्व पटवारी ने अपीलकर्तागण को बताया कि हुसैन ने अपना खेत अलग करवा लिया है व उनकी नेखमबंदी कराने का आदेश कराया है तब अपीलांट को आलोच्य निर्णय की जानकारी हुई तब अपीलांटकर्ता ने दिनांक 15.2.2016 को नकल प्राप्त कर तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कारण नहीं बताया एवं अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय में अपीलांटगण में से अपीलांट संख्या 07 हकीम तथा उसका भाई हुसैन खां (रेस्पोडेंट संख्या 01) मय अपने अधिवक्ता उपस्थित हैं। हुसैन खां ने पत्रावली पर उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर नहीं किये। उभयपक्ष को अपीलाधीन निर्णय एवं विभाजन प्रस्ताव पर गुणावगुण पर सुना गया। अपीलांट पक्ष को विवादित आराजी में हक–हिस्से को लेकर कोई उज्र/एतराज नहीं है लिहाजा अपीलाधीन निर्णय में घोषित हक–हिस्सों बाबत उभयपक्ष को कोई आपति नहीं होने से स्वीकार्य है। अपीलाधीन निर्णय के तहत अंतिम डिक्री के अधीन स्वीकार विभाजन प्रस्ताव पर विशेष आपतियां है। उभयपक्ष के अपने–अपने तर्क है। मौके पर उनके आवास एवं अन्य तामीरात को मद्देनजर रखते हुए विभाजन प्रस्ताव नहीं बनाया गया है। विभाजित किये गए खसरे संख्या 14 के भीतर एक अन्य सामलाती खसरा संख्या 12 भी है जो पुश्तैनी आवास है जिस पर वर्तमान में कब्जा हुसैन खां (रेस्पोडेंट संख्या 01) का होना बताया है परन्तु वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। अपीलांट का कथन है कि **विभाजन प्रस्ताव से खसरे के शेष रकबे को एक लम्बी पट्टी के रूप में विभक्त किया है** जो उनके लिए कृषि कार्य हेतु कतई सुविधाजनक एवं उपयोगी नहीं रह गई है। विभाजन प्रस्ताव By Meets and Bound के सिद्धान्तों पर तैयार नहीं किया गया है। यह एकतरफा कार्यवाही है। अपीलांटगण का प्रस्ताव है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 को **लंबी समानान्तर विभक्त पट्टी की भूमि को सम्मिलित करते हुए एक तरफ रकबा पूर्ण करते हुए हिस्सा दे दिया जाये तो ज्यादा उपयुक्त है** जो कि रेस्पोडेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। अपीलांटगण द्वारा यह भी कथन किया है कि **रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दुर्भावनावश विभक्त लंबी पट्टी वाली भूमि पर भी तारबंदी कर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है** एवं **अपीलांटगण की उस पर पहुंच बाधित कर दी है जिसे रेस्पोडेंट संख्या 01 ने मौखिक रूप से स्वीकार किया है।** उनका यह भी कथन है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने सोची समझी योजना के तहत खसरा संख्या 12 का विभाजन नही चाहा क्योंकि उसका इसके संपूर्ण रकबे पर अनाधिकृत कब्जा है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 1 बदनीयति के वशीभूत है और किसी तरह से युक्तियुक्त एवं समान रूप से हक–हिस्सों मुताबिक भूमि से अधिक भूमि अवैध हड़पना चाहता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 को विभाजन के लिए अन्य उपयुक्त एवं सहमति बाबत विकल्प सुझाने के लिए भी कहा गया परन्तु वह कोई फेर–फार नहीं करना चाहता बल्कि उसने यह भी अवगत कराया है कि उसने अपनी विभाजन प्रस्ताव के तहत प्राप्त भूमि पर पुलिस की सहायता एवं मौजूदगी में नेखमबंदी भी करवा कर उसको तारबंदी से आबद्ध कर दिया है। इस प्रकार गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव के तहत भूमि प्राप्त कर रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने गलत इरादों को मूर्तरूप देने में लगभग सफल हो गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय के अधीन वाला विभाजन प्रस्ताव By Meets and Bound के सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। वह एकतरफा होने से भी निसंदेह निरस्त योग्य ठहरता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय/डिक्री के अधीन वाले विभाजन प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है। अपीलाधीन निर्णय के तहत इस विभाजन प्रस्ताव से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु भरा गया नामांतरकरण तथा पृथक खसरा संख्या को भी निरस्त किया जाता है। निर्णय के फलस्वरूप और इसके अनुक्रम में हुई अन्य कार्यवाही, **वादग्रसत भूमि में घोषित हिस्सों को छोड़कर,** नेखमबंदी वगैरह भी विभाजन प्रस्ताव की निरस्ती के फलस्वरूप निष्प्रभावी है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय में पक्षकारों के घोषित हिस्सों के अनुसार मौके पर By Meets and Bound विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण मौका दे एवं उद्धृत **नियम 18 से 21 की पालना का स्पष्ट उल्लेख करते हुए विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार गडरारोड की उपस्थिति में तैयार करवाकर मंगवाए और खसरे का तदनुसार विभाजन हेतु आदेश पारित करे।**

27/3/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/3/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner